By E-mail/Courier

पत्रांक–म०भो० / को०–46 / 2012 338 /

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

उप निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)
शिक्षा विभाग,
बिहार।

पटना, दिनांक 26/03/13

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में मध्याह्न भोजन योजना पदाधिकारी के वेतनादि भुगतान हेतु गैर योजना मद में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने एवं शेष राशि को मदवार प्रत्यार्पित करने के संबंध में।

प्रसंगः इस निदेशालय का पत्रांक 1659 दिनांक 31.10.2012 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि कई जिलों से आवंटन प्रत्यार्पित किये जाने की सूचना आ रही है किन्तु यह मदवार नहीं है। ऐसे में प्रत्यार्पित राशि का मूल आवंटन पंजी में समायोजन संभव नहीं है। साथ ही आपको दिये गये आवंटन के आलोक में अबतक उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी अप्राप्त है।

2. आप अवगत है कि वित्तीय वर्ष समापन पर है। ऐसे में अनुरोध है कि आपके जिला को आवश्यकता से अधिक आवंटन उपलब्ध है, तो उसे शीघ्र मदवार प्रत्यार्पित करने की कृपा की जाय और इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दिया जाय।

3. जिन जिलों के द्वारा राशि प्रत्यार्पित तो की गई है किन्तु मदवार विभाजन नहीं किया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे पुनः मदवार राशि प्रत्यार्पित करने की कृपा करें।

इसे अतिआवश्यक एवं अतिमहत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० 26/03/13
उप निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 338 / पटना, दिनांक 26/03/13 /

प्रतिलिपि :– सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 26/03/13
उप निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।